न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/312/2018	14.12.2018	16.08.2019

उनवान

1. असरी पत्नी शौकत जाति मेव निवासी ग्राम रायबका तहसील व जिला अलवर।
.....वादी

बनाम

1. आसु खां पुत्र जुहरू खां,
2. कल्ली पत्नी जुहरू खां,
3. मजीदन पुत्री जुहरू खां,
4. शुशीबन पुत्री जुहरू खां, जातियान मेव, निवासियान ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

..... प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री रामसहाय गुर्जर एडवोकेट – वादी

निर्णय

वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का विवरण संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 64 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0.30 व 343 रकबा 0.31, 344 रकबा 0.31 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित आराजी वाद में विवादित है। विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के बुर्जग जुहर खां पुत्र फूलु जाति मियासाब निवासी लौहरवाडी तहसील रामगढ का 1/3 भाग था ओर वोह 1/3 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार था जिस जुहर खां ने अपने 1/3 भाग में से 1/2 भाग यानि 0.15 हैक्ट0 रकबे के बेचान का सौदा वादनी के साथ दिनांक 18.07.2002 को किया था और जिसका बयनामा वादनी के हक में लिखावा दिया था ओर तब से लेकर आज तक वादनी उक्त विवादित आराजी के 1/3 भाग में से 1/2 भाग पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और काबिज है और आज भी मौके पर वादनी का कब्जा काश्त है। वादनी अनपढ महिला है जिसको कानून की जानकारी नही है इस कारण वादनी ने उक्त खरीदशुदा आराजी का बय का इन्तकाल अपने नाम तस्दीक नही कराया। जिसका सर्वप्रथम वादनी को इलम वादनी को जब अपनी पुत्री की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

शादी के लिए पैसों की आवश्यकता थी इस कारण वादनी ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजी के बेचान का सौदा शेरमौहम्मद पुत्र करीम मेव निवासी रायबका से किया और जमाबन्दी आदि की नकले लेने पटवारी के पास गई तब हुआ कि उक्त आराजी गलत प्रकार से जुहरू के वारिसान ने सालिम अपने 1/3 भाग का इन्द्राज करा लिया ओर जुहरू की विरासत अपने नाम चढा ली जबकि जुहरू ने अपने जीवनकाल में ही जर्ये बयनामा अपने हिस्से की आराजी उपरोक्त में से 1/2 भाग का बेचान वादनी को कर दिया था। इस पर वादनी ने दिनांक 17.11.2018 को प्रतिवादीगण के पास गई और उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने की बाबत काह तो इस पर प्रतिवादीगण ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने से इन्कार कर दिया और वादनी के साथ झगडा फिसाद किया और धमकी दी कि वोह वादनी को उसके हिस्से से जबरन बेदखल करके अपना जबरन कब्जा करके रहेंगे और अपने नाम से गलत इन्द्राज के आधार पर बिना कब्जा दिये विवादित आराजी को किन्ही दीगर शख्सों को रहन, बय हिब्बा आदि के मुन्तकिल व मकफूल कर देंगे वादनी हमारा कुछ नही बिगाड सकती और चूकि प्रतिवादीगण अपनी आदतों से बाज नही आ रहे है अगर उन्होनें ऐसा कर दिया तो मिन वादनी मिन वादनी को नाहक मुकदमे बाजी में फसना पडेगा और ऐसा भारी नुकसान होगा कि जिसकी पूर्ति रूपयों में व हकूकों में न तो हो सकेगी और न आंकी जा सकेगी। जो नापूर्ति होने वाली अपार हानि होगी।

अतः प्रार्थना है कि डिक्री बाबत इस्तकरारहक व दुरूस्ती इन्द्राज बहक़ वादनी विरूद्ध प्रतिवादीगण सादिर फरमाई जाकर यह करार दिया जावे कि विवादित आराजी खसरा नम्बर साबिक 64 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0. 30 व 343 रकबा 0.31, 344 रकबा 0.31 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है जिसमें से वादनी ने प्रतिवादीगण के बुजुर्गान जुहरू से उसके 1/3 हिस्से की आराजी में से 1/2 भाग का बयनामा दिनांक 18.07.2002 को कराया है कि वादनी काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज है और इसी प्रकार अपने आपको काबिज काश्तकार खातेदार कागजातमाल जमाबन्दी अब तक में दर्ज कराने की

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

अधिकारिणी है व प्रतिवादीगण के नाम को गलत इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कराने की अधिकारी है।

वादनी का वाद दर्ज रजिस्टर्ड किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से विधिवत् तामिल बावजूद भी न्यायालय में उपस्थित नही हुए, तत्पश्चात प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादनी ने अपने दावे के समर्थन में स्वयं वादनी असरी , राजू, श्रीराम के बयान हल्फी बरूवे हल्फ कराये तथा असरू का हलफनामा पेश किया। तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नक्शा ट्रेस सन् 2000 ईएक्स–1, जमाबन्दी सम्वत 2072 से 2076 ईएक्स–2, मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2058 ईएक्स–3, मिसल बन्दोबस्त सम्वत 258 ईएक्स–4, बैयनामा दिनांक 18.07.2002 ईएक्स–5 की प्रमाणित प्रतियां पेश की गई।

वादनी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वादनी के विद्वान वकील ने बहस के दौरान दावें में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के बुर्जग जुहर खां पुत्र फूलु जाति मियासाब निवासी लौहरवाडी तहसील रामगढ का 1/3 भाग था ओर वोह 1/3 भाग का काबिज काश्तकार खातेदार था जिस जुहर खां ने अपने 1/3 भाग में से 1/2 भाग यानि 0.15 हैक्ट0 रकबे के बेचान का सौदा वादनी के साथ दिनांक 18.07.2002 को किया था और जिसका बयनामा वादनी के हक में लिखावा दिया था ओर तब से लेकर आज तक वादनी उक्त विवादित आराजी के 1/3 भाग में से 1/2 भाग पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और काबिज है और आज भी मौके पर वादनी का कब्जा काश्त है। वादनी अनपढ महिला है जिसको कानून की जानकारी नही है इस कारण वादनी ने उक्त खरीदशुदा आराजी का बय का इन्तकाल अपने नाम तस्दीक नही कराया। वादनी को जब अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसों की आवश्यकता थी तो वादनी ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजी के बेचान का सौदा शेरमौहम्मद पुत्र करीम मेव निवासी रायबका से किया । और जमाबन्दी आदि की नकले लेने पटवारी के पास गई तब ज्ञात हुआ कि उक्त आराजी गलत प्रकार से जुहरू के वारिसान ने सालिम अपने 1/3 भाग का इन्द्राज करा लिया ओर जुहरू की विरासत अपने नाम चढा ली जबकि जुहरू ने अपने जीवनकाल में ही जर्ये बयनामा अपने हिस्से की

उप खण्ड अधिकारी
समाड़ (अलवर)

आराजी उपरोक्त में से 1/2 भाग का बेचान वादनी को कर दिया था। इस पर वादनी ने उक्त गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने का निवेदन किया है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। वादनी के विद्वान वकील की एकपक्षीय बहस पर मनन किया जिससे प्रतीत होता है कि विवादित आराजी में प्रतिवादीगण के बुर्जग जुहर खां पुत्र फूलु जाति मियासाब निवासी लौहरवाडी तहसील रामगढ का 1/3 भाग था जिस जुहर खां ने अपने 1/3 भाग में से 1/2 भाग यानि 0.15 हैक्ट0 रकबे के बेचान का सौदा वादनी के साथ दिनांक 18.07.2002 को किया था और जिसका बयनामा वादनी के हक में लिखावा दिया था ओर तब से लेकर आज तक वादनी उक्त विवादित आराजी के 1/3 भाग में से 1/2 भाग पर काबिज रहकर काश्त करती चली आ रही है और काबिज है और आज भी मौके पर वादनी का कब्जा काश्त है। वादनी को कानून की जानकारी नही होने से वादनी ने उक्त खरीदशुदा आराजी का बय का इन्तकाल अपने नाम तस्दीक नही कराया। अब वादनी को जब अपनी पुत्री की शादी के लिए पैसों की आवश्यकता थी तो वादनी ने अपने हिस्से की उपरोक्त आराजी के बेचान का सौदा शेरमौहम्मद पुत्र करीम मेव निवासी रायबका से किया । उक्त आराजी गलत प्रकार से जुहरू के वारिसान ने सालिम अपने 1/3 भाग का इन्द्राज करा लिया ओर जुहरू की विरासत अपने नाम चढा ली जबकि जुहरू ने अपने जीवनकाल में ही जर्ये बयनामा अपने हिस्से की आराजी उपरोक्त में से 1/2 भाग का बेचान वादनी को कर दिया था। वादनी ने प्रतिवादीगण के बुजुर्गान जुहरू से उसके 1/3 हिस्से की आराजी में से 1/2 भाग का बयनामा दिनांक 18.07.2002 को कराया है कि वादनी काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज है और इसी प्रकार अपने आपको काबिज काश्तकार खातेदार कागजातमाल जमाबन्दी अब तक में दर्ज कराने की अधिकारिणी है व प्रतिवादीगण के नाम को गलत इन्द्राज हो रहा है उसे कलमजन कराने की अधिकारिणी है।

आदेश

वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 64 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 342

उप खण्ड अधिकारी
रामगढ (अलवर)

रकबा 0.30 व 343 रकबा 0.31, 344 रकबा 0.31 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है, जिसमें से वादनी ने प्रतिवादीगण के बुजुर्गान जुहर पुत्र फूलू से उसके 1/3 हिस्से की आराजी में से 1/2 भाग अर्थात 1/6 भाग का बयनामा दिनांक 18.07.2002 को कराया है जिसकी वादनी काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज है और इसी प्रकार ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर वादनी बयनामा मुताबिक 1/6 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज करें। इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया जाकर आज दिनांक 16.08.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

16.08.19

(महेश चन्द्र मान)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उप खण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी :– महेश चन्द्र मान (आर. ए. एस.)

दावा संख्या	तारीख रजू	तारीख निर्णय
1/312/2018	14.12.2018	16.08.2019

उनवान

1. असरी पत्नी शौकत जाति मेव निवासी ग्राम रायबका तहसील व जिला अलवर।

.....वादी

बनाम

1. आसु खां पुत्र जुहरू खां,
2. कल्ली पत्नी जुहरू खां,
3. मजीदन पुत्री जुहरू खां,
4. शुशीबन पुत्री जुहरू खां, जातियान मेव, निवासियान ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर।

..... प्रतिवादीगण

5. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार साहब, रामगढ़

..... तकमीली प्रतिवादीगण

(दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 आरटीएक्ट)

उपस्थित अभिभाषकगण –

1. श्री रामसहाय गुर्जर एडवोकेट – वादी

पर्चा डिक्री

वादनी का वाद स्वीकार किया जाकर इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर साबिक 64 मिन रकबा 3 बीघा 13 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 342 रकबा 0.30 व 343 रकबा 0.31, 344 रकबा 0.31 हैक्ट0 वाके ग्राम लौहरवाडी तहसील रामगढ़ जिला अलवर में स्थित है, जिसमें से वादनी ने प्रतिवादीगण के बुजुर्गान जुहर पुत्र फूलू से उसके 1/3 हिस्से की आराजी में से 1/2 भाग अर्थात 1/6 भाग का बयनामा दिनांक 18.07.2002 को कराया है जिसकी वादनी काबिज काश्तकार खातेदार है और काबिज है और इसी प्रकार ताहाल कागजातमाल जमाबन्दी में दर्ज प्रतिवादीगण के नाम को कलमजन कर वादनी बयनामा मुताबिक 1/6 हिस्से का काबिज काश्तकार खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार रामगढ को आदेशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल / इन्द्राज करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16.08.2019 को तैयार की जाकर शामिल मिसल की गई।

16.08.19

(महेश चन्द्र मान)
आरएएस
उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर)